न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील नं. 93/2017

1. कुलदीप पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बैंर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. मुराममूर्ति पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी बैंर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 11.09.2017

उपस्थित:—

श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा अभिभाक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 27.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रामकुमार ने एक प्रार्थना पत्र अति. कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14/4 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पिता अमरसिंह के नाम से रोही मोजा किसनपुरा के ख.न. 137 में 12.650 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हो चुका है। जिस समय यह भूमि अमरसिंह को आरजी काश्त पर आवंटित थी एवं उसका जब नवीनीकरण हुआ उस पर अमरसिंह के हस्ताक्षर नहीं थे एवं पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र पर भी अमरसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार राज्य सरकार

27/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को धोखा देकर उक्त भूमि का आवंटन कराया है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि को बहक सरकार लिया जाये।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया । आवंटन को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा खारिज नहीं किया गया। धारा 11/14 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावें ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने प्रा.पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक सरकार लेने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने शिकायत रंजिशवश एवं अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए पेश की है। इस पर धारा 11/14 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधी.न्यायालय ने तथ्यों का सही विवेचन किये बिना ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन अपीलार्थी ने नहीं किया है एवं शिकायत साबित होने से अधी.न्यायालय ने आवंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय अति0 कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें तथ्यों को छिपाकर आवंटन किया जाने से आवंटन निरस्त किया है जो नियम विरूद्ध निरस्त किया है, को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अति.कलेक्टर सूरतगढ़ की सन्दर्भ पत्रावली 15/2015 प्रकरण दायरी दिनांक 11.03.2015 की प्रथम आदेशिका

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

ने प्रकरण रामकुमार बनाम अमरसिंह मृतक के कायम मुकाम कुलदीपसिंह अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत दर्ज रजिस्टर किया एवं प्रकरण के उनवान में भी यही दर्ज है परन्तु निर्णय धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत किया है। दोनों ही सन्दर्भ कानूनों का Scope अलग–अलग है। आदेशिका दिनांक 11.03.2015 में मूल आवंटन पत्रावली तलबी के आदेश दिये परन्तु पत्रावली में यह तलबी नहीं होना पाया गया। फिर भी निर्णय किया है जो उचित नहीं है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 32 से यह प्रमाणित होता है कि जिस आवंटन में तथ्यों को छिपाना जाहिर किया है अधी.न्यायालय ने उस आवंटन आदेश को न तो तलब किया, न ही देखा न ही पत्रावली पर उपलब्ध है फिर भी निर्णय किया है जो कानून की निगाहों में Bad-decision की परिभाषा में आता है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली में विवेचन में जो तथ्य सामने आये व दर्शाये है कि:–

1. अप्रार्थी द्वारा रोही किशनपुरा में भूमि आवंटित करवाते समय अपनी पिछली भूमि का अंकन प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया दर्शाया– अधी.न्यायालय की पत्रावली के सरबरक अनुसार कुल 176 पृष्ठ अंकित है इन पृष्ठो में न तो आवंटन पत्रावली है न ही ऐसा कोई प्रमाणित, प्रमाणिक दस्तावेज जिसमें अपीलांट का आवेदन, आवेदन पर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार की रिपोर्ट जिनके द्वारा इस बिन्दु की रिपोर्ट की जानी अपेक्षित है। अधी. न्यायालय की पत्रावली के पेज 17 पर खातेदारी देने की रिपोर्ट में पटवारी, गिरदावर ,तहसीलदार ने बिन्दु सं. 12 में अंकित किया है कि " इस भूमि के अलावा प्रार्थी के पास कितनी भूमि (स्वयं की खरीद/पिता से प्राप्त/अन्य स्त्रोत से प्राप्त भूमि है। —– Nil —–" इस न्यायालय के view में यह आधारहीन विवेचन है।
2. अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा न ही अप्रार्थी आबाद हुआ दर्शाया है, जबकि अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17 पर पटवारी हल्का , गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया है कि रकबा स्वयं के काश्त में है – हॉ । उपरोक्तानुसार अधी.न्यायालय का विवेचन रेकार्ड से परे है।

27/11/17

...ल प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति काश्त करते हैं भी सन्दर्भित विवेचन नहीं है. काश्तकारी अधिनियम कृषि भूमियों को let व sub-let करने का परन्तुक के साथ allow करते है। अतः यह टिप्पणी प्रासंगिक नहीं है।
4. कोई भी अड़ौसी–पड़ौसी अप्रार्थी या उनके वारिसासन को नहीं जानते भी Base less विवेचन है जान–पहचान किसी भी Legal Locus-standai का आधार नहीं बन सकती। अतः यह विवेचन सारहीन है।
5. बरवक्त खातेदारी अप्रार्थी फोत हो चुका थ भूमि पर उसके वारिसान का कब्जा नहीं था का विवेचन भी Law illiteracy show करता है. Relevant न होकर गलत विवेचित है।
6. अप्रार्थी की मृत्यु दिनांक 20.07.2008 में तथा खातेदारी 2013 में दी भी सारभूत विवेचन नहीं है। खातेदारी अधिकार देने एवं मृत्यु के मध्य क्या Co-relation है विवेचन से स्पष्ट नहीं हुआ।
7. अप्रार्थी द्वारा ग्राम किशनपुरा में निवास सम्बन्धी कोई सबूत पेश नहीं किया भी अप्रासंगिक है। किस परिपेक्ष्य में इसकी आवश्यकता है यह स्पष्ट नहीं किया है। राज.उप.(अस्थाई पट्टा) शर्तें 1955 के नियम 7 में पात्र व्यक्ति की पात्रताऐं दर्शायी है जिसमें प्राथमिकता उस गांव के काश्तकार की होगी तथा पात्रता राजस्थान के काश्तकार की दर्शायी है। नियम का text है कि 7–पात्र व्यक्ति– शर्त सं. 6 के अधीन पट्टे पर कृषि भूमि के अनुदान के लिये आवेदन करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होगें तथा उन्हें आवंटन नीचे दिये गये प्राथमिकता के कम में किया जाएगा:–

(i) भूमिहीन काश्तकार जो उसी ग्राम में, जिसमें आवंटन के लिये भूमि पडती है। 1 अप्रेल 1955 के पूर्व से निरन्तर निवास करते आ रहे हों।

(ii) ऐसा व्यक्ति (i) के अनुसार पात्र है किन्तु किसी उपनिवेशन तहसील के बराबर वाले ग्राम में निवास करता है।

(iii) ऐसा व्यक्ति जो (i) के अनुसार पात्र है लेकिन उसी तहसील में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के भीतर आने वाले ग्राम में निवास करता है।

27/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(iv) ऐसा व्यक्ति जो (i) के अनुसार पात्र है लेकिन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बाहर, लेकिन उसी तहसील के भीतर , ग्राम में निवास करता है।

(v) ऐसा व्यक्ति जो (i) के अनुसार पात्र है लेकिन उसी जिले के ग्राम में निवास करता है।

(vi) ऐसा व्यक्ति जो (i) के अनुसार पात्र है लेकिन उसी डिवीजन के ग्राम में निवास करता है।

(vii) ऐसा व्यक्ति जो (i) के अनुसार पात्र है लेकिन राजस्थान के किसी भाग में निवास करता है।

(viii) राजस्थान के किसी भी भाग में निवास करने वाला कोई भी भूमिहीन कृषक।

8. तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा अपने पत्रों व दैनिक डायरी में अप्रार्थी का मौका पर आबाद नहीं होना एवं अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं बताया – विवेचन भी उचित नहीं है क्योंकि जब पटवारी या तहसीलदार मौके पर जाये तब पक्षकार मौके पर उपस्थित मिले जरुरी नहीं। अतः यह विवेचन अनुचित है।

9. खातेदार तथा उसके वारिसासन द्वारा खातेदारी लेने बाबत कोई प्रार्थना पत्र खातेदारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। विवेचन भी विधिक नहीं है। नियम कहीं Forbid नहीं करते कि पात्रता हासिल करने पर आवेदन की औपचारिकता अनिवार्य है अगर है भी तो काश्तकारों के लिए यह सुविधा राज्य कार्मिकों द्वारा मुहैया करवानी अपेक्षित होकर विवेचन ठीक नहीं है।

10. खातेदारी बाबत रिपोर्ट पटवारी पटवार मंडल किशनपुरा दिनांक 07.05.2013 भू–अ. निरीक्षक द्वारा जांच दिनांक 19.06.2013 में बिन्दु संख्या 9 में अलाटी को जीवित बताया तथा यह रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है विवेचन में जबावदेही सरकारी कार्मिकों की अगर बनती है तय की जानी अपेक्षित है अपीलांट कैसे सम्बन्धित है स्पष्ट नहीं होने से Irrelavent विवेचन है।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो न्याय सिद्धान्त पेश किये में आरआरडी 2009 पेज 177 अपील संख्या 4382 बांसवाडा नगेन्दलाल बनाम धीरजी में निर्णय दिनांक 18.11.2008 में प्रतिपादित हुआ है कि "Rajasthan Land Revene (Allotment of Land for Agricultural Purpose) Rules, 1970, Rule 14(4)

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

– Appeal against order of RAA – Held, disputed land allotted by Allotment advisory Committee on 29-03-1973- Cancelled on application under rule 14(4) on 20-09-1997 after getting khatedari rights in 1989, i-e- after lapse of 24 years without any breach of conditions of allotment- Ground taken for cancellation of allotment is that possession on the disputed land is of the respondents and under Allotment Rules, only unoccupied land can be allotted- It is not established that allottee is not landless person and land obtained by fraud or misrepresentation- It has not been established that allottee had more than 15 bihga land in his possession- In appeal before RAA, Tehsildar has not been made a party whereas State Govt. was necessary party- Allotment cannot be cancelled under rule 14(4) after conferment of khatedari rights- His tenancy rights can be extinguished only under the provisions of R.T. Act- Order of Addl. Collector and order of RAA quashed being unjustified and illegal."

प्रस्तुत अन्य न्याय सिद्धान्त आरआरडी 2008 पेज 454 अपील संख्या 1680 दिनांक 18.01.2000 में held किया है कि Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 ,Rule 14(4)— Appeal against order allotment of RAA – Held allotmet to respondents R & B in kh. No. 1310 area 0.50Hec. on 16.5.89 by Allotment Committee is undisputed fact- Possession handed over to both the respondents by Patwari and veified by Inspector, Land records, Patta issued – Respondants acquired khatedari rights-Appellants are not able to prove that Respondants are not boiffifide agriculturist or allotment secured by fraud or misrepresentation or against rules- Plea of appellants is that disputed land is in their possession since 1989-Their claim is based on encorachment- Addl. Collector cancelled the allotment without mentioning as to which of the allotment condition was violated-It is Surprising that allotment of 1989 was cancelled after 13 years on the basis of suspicion when respondent-allottees had already acquired khatedari rights-Appellants are rank trespassers-They are not eititled to any protection- No interference is requied in the order passed by RAA. इस निर्णय के सन्दर्भ पैरा 9,10, 11 का सार है कि

9. A perusal of the decision of Additional Collector dated 3.7.02 shows that allotments of 16.5.89 was cancelled on 3.7.02 mainly on the ground that

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

allotment conditions were not fulfilled; but it is not stated as to which of the allotment condition was violated. Thus, this is a vague order. Another reason given is that signatures/ thumb impression of the respondent do not tally, which raises suspicio. This finding is also untenable in view of the fact that entire proceedings of allotment took place before the land allotment committee and thereafter the possession was handed over by the revenue officials in presence of witnesses. There could have been ground of suspicion if original allottees were changed or their names were changed but this is not so; hence there is no ground for the suspicion of the impugned allotments to the respondent-allottees. It is also surprising that allotment ofr 1989 was cancelled after 13 years when the allottees had already acquired khatedari rights. According to 2006 RBI 11, after 10 years of allotment allottees can be ejected only under the provisions of Rajasthan Tenancy Act and not under Rule 14(4) of the Rules of 1970. This is further upheld 1997 RRD 195, 1999 RRD 128, 2001 RRD 126 and 206, 2003 RRD 237.

10. The appellants have tried to make out their case on the basis of the possession of the disputed land. Assuming that the appellants are in possession of the disputed land, still it would only be a possession of rank trespasser. Such land under encroachment is still abailable for allotment, as it does not become 'occupied land' within the definition of Section 5(27) of the Act of 1955. Hence such land is available for allotment as unoccupied land, as held by Hon'ble High Court in 2000(2) RLW 1000.

11. It is significant to observe that respondent- allottees have become khatedars of the land which was allotted to them in the year 1989. Once khatedari rights have accrued to them it (khatedari) can only be withdrawn in accordance with the provisions of Act of 1955 and not under rule 14(4) of the Allotment Rules of 1970, as has been held in 1995 RBJ 780 by Hon"ble High Court of Rajasthan. It is further held in1998 RRD 689 and 1987 RRD 371 that there cannot be cancellation of allotment order once khatedari rights are conferred on the allottees. Hon'ble High Court of Rajasthan has clearly splet out in 2001(1) RRT 29 that allotment made for agricultural purposes cannot be cancelled after a prolonged period, as it will be travesty of justice

24/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

to dispossess the allottees from such land which was taken care of land nourished by them for such a long period."

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आरबीजे 1997 पेज 287 प्रकरण सं. रिवीजन एल आर 103/94 जयपुर राजकीय प्रवेशिसका विद्यालय बड़ी जोड़ी बनाम सरदारसिंह के निर्णय में held किया है कि " Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970. Rules 14(3)(4) And Rule 18 Section 9 of The Rajasthan Land Revenue Act 1956. Allotment of Land Cannot Be Cancelled After Lapse of 23 Years. The allotment was made to the Non- petitioners No. 1 in the year 1965 and khatedari rights was also conferred to the allottee on 20.8.1975. After lapse of so many years the allotment cannot be cancelled under Section 9 read with Section 84 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956. If the State or any other person has objection against the allotment they were required to take timely action and not wait for 23 years.

सभी न्याय सिद्धान्त आवंटन निरस्त करने के guiding principles से जुडे होने से प्रकरण हाजा से संदर्भित होने से निर्णय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहायक है क्योंकि आवंटन निरस्त चाहे आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) में किया जाय या उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 पठित 14 के परिप्रेक्ष्य में हो दोनों के लिए Thumb rule उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों में दर्शाये है।

अतः अधी.न्यायालय का विवेचन सारहीन होने से किसी काश्तकार की 50 बीघा खातेदारी भूमि बिना किसी साक्ष्यों के परीक्षण, summary proceeding द्वारा Resume करना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होकर विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों , प्रकियाओं का उल्लंघन कर निर्णय किया है जो खारिज योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर